संख्या-31 /2023 /001-366-2345108-2023-12-5099-6-2023

प्रेषक,

राजीव श्रीवास्तव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश,
कृषि भवन, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-5 लखनऊ : दिनांक 25 मार्च, 2023

विषय:- वित्तीय वर्ष 2022-23 मे अनुदान संख्या- 11 के लेखाशीर्षक 2401- फसल कृषि कर्म, 109- विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण, 04- रहमान खेड़ा राज्य् कृषि प्रबन्धी संस्थान योजना के मानक मद 20-सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) योजनान्तर्गत पुनर्विनियोग के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-बी0ए0(1)/1196/पुनर्विनियोग/2022-23, दिनांक 09-03-2023 एवं निदेशक, राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान, रहमानखेड़ा, लखनऊ के पत्रांक-रा.कृ.प्र.सं./5715/लेखा/2022-23, दिनांक 17-03-2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या- 11 लेखाशीर्षक 2401- फसल कृषि कर्म, 109- विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण, 04- रहमान खेड़ा राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान योजनान्तर्गत मानक मद 31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) में प्राविधानित धनराशि रू0 747.54 लाख के सापेक्ष हो रही बचत से रू0 50.00 लाख, प्रश्नगत योजनान्तर्गत ही मानक मद **20-सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) में रू0 50.00 लाख (रूपये पचास लाख मात्र) के पुनर्विनियोग** की अतिरिक्त धनराशि को विभागीय बचतों से संलग्न प्रपत्र बी0एम0-9 (भाग-1) के पर वित्त विभाग द्वारा आवंटित **आर.ई.संख्या –बजट-1-598 दिनाँक 23.03.2023 में प्रदत्त सहमति** के अनुसार पुनर्विनियोग किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) बचत की धनराशि एवं व्यय की जाने वाली धनराशि का औचित्य विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) जिस योजना/मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उसमें चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

(3) जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की जा रही है, उसी मद/कार्यों में आहरित कर व्यय की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(4) जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है उसका सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।

(5) प्रस्ताव में आंकडों की शुद्धता का दायित्व विभाग का होगा।

(6) धनराशि के आहरण एवं व्यय के दौरान वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/ बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07.06.2022 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 50,00,000 (रुपये पचास लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 011 **लेखा शीर्षक** 2401001090400 रहमान खेड़ा राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान **मानक मद** 20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 13 / 2022/ बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक- 07-जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
राजीव श्रीवास्तव
विशेष सचिव,

संख्या-31/2023/001-366-2345108-2023-12-5099-6-2023, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एंव हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
3- प्रधान महालेखाकार (सिविल/आडिट), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
4- निदेशक, राज्यप कृषि प्रबन्धक संस्थापन, रहमानखेड़ा, लखनऊ
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ
6-संबंधित जनपदीय मुख्य कोषाधिकारी/ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7- वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, लखनऊ।
8- सहायक निदेशक (कम्प्यूटर एवं समन्वय), कृषि भवन, लखनऊ।
9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-3
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
राजीव श्रीवास्तव
विशेष सचिव,

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

वी एफ 9 (आम - 1)
पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति
(संदर्भ बजट मैनुअल का प्रस्तर- 150)
A012-20222023-366-2345108-2023-12-5099-6-2023

विषय - अनुदान संख्या- 11 के लेखाशीर्ष 2401- रहमान खेड़ा राज्य कृषि वर्ष, 109-विस्तार तथा विस्तारी की प्रतिस्थापन, 04- रहमान खेड़ा राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान योजना में पुनर्विनियोग के संबंध में।

निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
011	2401001090400 (रहमान खेड़ा राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान)	31 (सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन))	7,47,54,000 रुपये सात करोड़ सैंतालीस लाख चौवन हजार मात्र	50,00,000 रुपये पचास लाख मात्र	-50,00,000 रुपये पचास लाख मात्र	6,97,54,000	2022-2023

निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
011	2401001090400 (रहमान खेड़ा राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान)	20 (सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन))	1,17,70,000 रुपये एक करोड़ सत्रह लाख सत्तर हजार मात्र	50,00,000 रुपये पचास लाख मात्र	1,67,70,000	2022-2023

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहें :-

1- स्तम्भ-3 मे उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-4 मे अंकित बचत निम्नलिखित कारणों से है :-

अ-वास्तविक मांग के आधार पर बचत है।

2- स्तम्भ-8 मे उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 मे अंकित व्ययाधिक्य निम्नलिखित कारणों से है :-

ब- रहमान खेड़ा राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान के सामान्य दैनिक खर्चे यथा सेवा प्रदाता कर्मकार के बिल, बिजली का व्यय, गाड़ियों का संचालन हेतु डीजल पेट्रोल, स्टेशनरी यात्रा व्यय, संस्थान के प्रक्षेत्र पर दैनिक श्रमिकों का भुगतान आदि तथा वित्त वर्ष 2021-22 की चतुर्थ किश्त की धनराशि की स्वीकृत प्राप्त न होने के कारण अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता है।

3- प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर संख्या-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या: आर ई-< > -2022-23, दिनांक- मार्च, 2023 23.3.2023

सेवा में,
महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

(अमर चन्द्र)
अनु सचिव

Signed by नीलेश कुमार सिंह
Date: 22-03-2023 17:26:43
Reason: Approved

(नीलेश कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव
वित्त विभाग

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with CamScanner

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उत्तर प्रदेश शासन।
सेवा में,

I/293451/2023

File No.12-5099/6/2023- -5-

16

I/287695/2023

File No.12-5099/6/2023- -5-

6/12

31/23/366-23 45708-2023-12-5099-6-2023, 25-3-2023
संख्या : < >/< >. < > दिनांक- मार्च, 2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(3) प्रधान महालेखाकार (सिविल/आडिट) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(4) वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशालय, उ0 प्र0 लखनऊ।
(5) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(6) संबंधित जनपदीय वरिष्ठ कोषाधिकारी/ कोषाधिकारी, उ0 प्र0
(7) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (बी0 एम 0-9 तीन प्रतियों में)।
(8) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-1
(9) गार्ड बुक।

Signed by अमर चन्द्र
Date: 13-03-2023 17:29:14
अपर सचिव
Reason: Approved

Scanned with CamScanner

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।